

# कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-II उ.प्र., प्रयागराज

पत्रांक- ले.ह.-2/03/ 29

दिनांक: 15/04/2021

सेवा में,

समस्त अधिशासी अभियंता,  
लो.नि.वि./सिं.वि./ग्रा.अ.वि.  
उत्तर प्रदेश


**विषय:** वित्तीय वर्ष 2020-21 के मासिक लेखों में विसंगतियों/त्रुटियोंको अंतरण प्रविष्टि द्वारा समायोजन के संबंध में।

महोदय,

सूचित करना है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में माह 04/2020 से 03/2021 तक के लेखों में यदि कोई भी विसंगति/त्रुटि हो जिसे नियमानुसार अंतरण प्रविष्टि (प्रपत्र-53)के द्वारा समायोजित किया जाना हो, तो ऐसी अंतरण प्रविष्टियों को मासिक लेखा माह 03/2021 के साथ इस कार्यालय को दिनांक 15-03-2021 तक प्राप्त करा दें। ताकि माह 03/2021 के लेखा संकलन में उन पर विचार कर राज्य सरकार के लेखे में शामिल किया जा सके।

मार्च पूरक लेखे (March Supplementary Account-2021) में माह 03/2021 के मासिक लेखे की विसंगतियों/त्रुटियों के समायोजन हेतु प्रेषित अंतरण प्रविष्टियों पर ही विचार किया जाएगा।

भवदीय,


  
वरि.लेखाधिकारी/नि०स०(प्र०)

पत्रांक- ले.ह.-2/03/

दिनांक: \_\_/04/2021

प्रतिलिपि-

- 1) समस्त अधीक्षण अभियंता, लो.नि.वि./सिं.वि./ग्रा.अ.वि., उत्तर प्रदेश।
- 2) समस्त खंडीय लेखाधिकारी, लो.नि.वि./सिं.वि./ग्रा.अ.वि., उत्तर प्रदेश।
- 3) वरिष्ठ लेखाधिकारी, कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, स्थानीय, को कार्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

  
वरि.लेखाधिकारी/नि०स०(प्र०)